# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी:— श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या — 38/2018

श्री कालु पिता देवा खटीक नि० हिसनीया —————प्रार्थी

बनाम

1— भैरुलालु पिता देवा खटीक नि० हिसनीया वगैरह

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आ दे श :: दिनांक:— 23-3-2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा0भू0राज0अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोदानपुरा ......... पटवार हल्का हिसनीया तहसील मांडल / करेड़ा मे उसके खाते / संयुक्त खातों की आराजी नं 371 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 1 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावे जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 31.1.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सोदानपुरा पटवार हल्का हिसनीया तहसील मांडल / करेड़ा मे स्थित आराजी नम्बर 371 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 1 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक आलमास को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपिः— तहसीलदार मांडल / करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल